110

पृ.क्रं.-	
पिछला	अगला

मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक / एफ-5-16/31/10-3/८७-२०२३ भोपाल, दि. २७ [illegible] 2010

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय:--वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमियों का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन--अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन सुनिश्चित करने हेतु ग्राम सभा की बैठक।

संदर्भ--भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ--11-9/98 एफ.सी. (पी.टी.) दिनांक 03/08/2009

--:0:--

विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। भारत सरकार के पत्र अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत आवदेक द्वारा प्रस्तुत वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव संबंधित क्षेत्र के ग्राम सभा के समक्ष रखा जाना है। भारत सरकार के पत्र में राज्य शासन से निम्न जानकारी वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव के साथ चाही गई है:--

इस आशय का प्रमाणीकरण कि--

क-- वनभूमि व्यपवर्तन हेतु आवेदित सम्पूर्ण वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 (वन अधिकार अधिनियम) के अंतर्गत वन अधिकारों की पहचान एवं उनके व्यवस्थापन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसकी पुष्टि में ग्राम सभा एवं अन्य समितियों द्वारा वन अधिकार के संबंध में किये गये विचार--विमर्श एवं बैठकों के अभिलेख।

ख-- व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि का प्रस्ताव वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सक्षम ग्राम सभा के समक्ष रखे जाने संबंधी कार्यवाही की जानकारी।

ग-- व्यपवर्तन हेतु आवेदित क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है तथा प्रस्ताव पर उसकी सहमति है, संबंधी जानकारी।

घ-- वन अधिकार अधिनियम की धारा 3 (2) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा संचालित जनउपयोगी सुविधाओं के लिए वन भूमि का व्यपवर्तन ग्राम सभा की सहमति से पूर्ण करने के संबंध में जानकारी।

ङ-- वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव को ग्राम सभा की बैठक में रखने तथा बैठक में ग्राम सभा के सदस्यों का न्यूनतम 50 प्रतिशत के कोरम में विचार--विमर्श कर निर्णय लेने संबंधी जानकारी।

च-- वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1) (e) के अनुसार आदिम जनजाति समूहों और कृषि-पूर्व समुदायों को अधिकारों को विशेष रूप से सुरक्षित करने संबंधी जानकारी।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत अधिकारों का अंतिम रूप से विनिश्चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। अतः भारत सरकार के संदर्भित पत्र में राज्य शासन से चाहे गये प्रमाण--पत्र के संबंध में आपके स्तर से जारी किये जाने वाले प्रमाण--पत्रों का प्रारूप संलग्न है। कृपया वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्तावों में संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा जारी सहमति पत्र की जांच पड़ताल कर निर्धारित प्रारूप में उक्त प्रमाण--पत्र आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः--उपरोक्तानुसार--3

o/c

(एम.के.राय)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग

पृ0 क्रमांक / एफ 5-18/2010/10-3/ 2024 भोपाल, दि. २३ नवम्बर, 2010

प्रतिलिपि:--

1 अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, सतपुडा भवन, भोपाल।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) वन वृत्त, मध्यप्रदेश।
4. समस्त वन मण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय) वन मण्डल, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

o/c

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग